

श्री ५ को सरकार  
कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०३८ सालको ऐन नं. ८

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समर विजयिनाम् ।

आर्थिक वर्ष २०३८।३९ को सेवा र कार्यहरूको लागि संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिने र विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन

प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष २०३८।३९ को सेवा र कार्यहरूको लागि संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम: यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०३८" रहेको छ ।
२. आर्थिक वर्ष २०३८।३९ को निमित्त संचित कोषबाट रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार: आर्थिक वर्ष २०३८।३९ को निमित्त अनुसूची १ बमोजिम संचित कोषमाथि व्यय भार हुने रकमबाहेक अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जम्मा रूपैयाँ ६,७२,७०,७४,०००।-

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

४३५



(छ अरब बहत्तर करोड सत्तरी लाख चौहत्तर हजार, पेस्की खर्च ऐन, २०३८ अनुसार खर्च हुने भएको रकमसमेत) मा नबढाई त्यतिसम्म रकम संचित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. विनियोजन: यो ऐनद्वारा संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०३८।३९ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

तर, उक्त सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिएको रकम कुनैमा वचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने भौ ५ को सरकारले एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० (दश) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न सक्नेछ ।



## अनुसूची-१

नेपालको संविधान अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १          | २             | ३                                 | ४                                          |
|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| क्रमसंख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                      | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रु. हजारमा |
| १          | १-१           | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार | १,२३,३७                                    |
| २          | १-२           | राजसभा                            | ८,४६                                       |
| ३          | १-४           | महालेखा परीक्षकको विभाग           | ४८,१७                                      |
| ४          | १-५           | सर्वोच्च अदालत                    | २५,५२                                      |
| ५          | १-६           | लोक सेवा आयोग                     | ४७,२७                                      |
| ६          | १-७           | निर्वाचन आयोग                     | ३,१२,६३                                    |
| ७          | १-८           | अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग     | ६,२०                                       |
| ८          | ५-२           | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय       | ७,४०                                       |
| ९          | ११-१          | साँढा भुक्तानी                    | १०,६१,०६                                   |
| १०         | ११-२          | ब्याज भुक्तानी                    | २२,०४,३२                                   |
| ११         | १२-६          | अन्य                              | ४,००                                       |
| १२         | १२-७          | भैपरिआउने                         | १०,००                                      |
|            |               |                                   | ३८,६१,४०                                   |



## अनुसूची-२

ढफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १          | २             | ३                                        | ४                           |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| क्रमसंख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                             | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १          | १-३           | राष्ट्रिय पञ्चायत                        | ५२,२०                       |
| २          | २-१           | मन्त्रिपरिषद                             | ३७,६१                       |
| ३          | २-२           | श्री ५ को सरकारको सचिवालय                | ३,२२,२४                     |
| ४          | २-३           | जिल्ला प्रशासन                           | ३,१८,२७                     |
| ५          | २-४           | प्रहरी                                   | १६,५४,६६                    |
| ६          | २-५           | कारागार                                  | १,८२,२३                     |
| ७          | २-६           | द्विविध                                  | ८४,६८                       |
| ८          | २-७           | प्रशासन सुधार                            | ४,५०                        |
| ९          | ३-१           | मालपोत                                   | २,२२,७०                     |
| १०         | ३-२           | भन्सार                                   | १,२०,२१                     |
| ११         | ३-३           | अन्तःशुल्क                               | ६४,६८                       |
| १२         | ३-४           | कर                                       | ५१,०१                       |
| १३         | ३-५           | राजस्व न्यायाधिकरण                       | २,०३                        |
| १४         | ४-१           | योजना                                    | ६,१२                        |
| १५         | ४-२           | तथ्याङ्क                                 | ७,८४                        |
| १६         | ४-३           | टक्सार                                   | ७३,४६                       |
| १७         | ४-४           | महालेखा नियन्त्रक कार्यालय               | ६३,८०                       |
| १८         | ४-५           | मेट्रिक नाप तौल                          | १५,४७                       |
| १९         | ५-१           | अदालत                                    | २,५७,३४                     |
| २०         | ५-३           | अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालत | २,३१                        |
| २१         | ६-१           | वैदेशिक सेवा                             | ४,३४,२१                     |
| २२         | ६-२           | विविध                                    | ७३,३२                       |

आधिकारिकता ४२४ विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



| १          | २             | ३                                               | ४                           |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| क्रमसंख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                                    | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| २३         | ७-१           | रक्षा                                           | २३,७२,६३                    |
| २४         | ७-२           | विविध                                           | ५,०७,२०                     |
| २५         | ८-१           | शिक्षा                                          | १०,८३,०५                    |
| २६         | ८-२           | स्वास्थ्य                                       | ८,२४,१४                     |
| २७         | ८-३           | पिउने पानी                                      | ३८,१७                       |
| २८         | ८-४           | पञ्चायत तथा स्थानीय विकास                       | ३,५०,४२                     |
| २९         | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवाहरू                            | २,७८,१४                     |
| ३०         | ९-१           | कृषि                                            | ४०,३६                       |
| ३१         | ९-२           | सिंचाइ                                          | ४२,५७                       |
| ३२         | ९-३           | भूमिसुधार                                       | १,६८,२६                     |
| ३३         | ९-४           | नापी                                            | ५३,६७                       |
| ३४         | ९-५           | वन                                              | ६०,६६                       |
| ३५         | ९-६           | उद्योग तथा खानी                                 | ३५,१८                       |
| ३६         | ९-७           | सञ्चार                                          | ४,६२,८५                     |
| ३७         | ९-८           | यातायात                                         | ४,२१,११                     |
| ३८         | ९-९           | बिद्युत्                                        | ५६,४७                       |
| ३९         | ९-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू                             | २६,६६                       |
| ४०         | १०-१          | ऋण र लगानी                                      | १,४३,००                     |
| ४१         | १२-१          | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च | १,५०,००                     |
| ४२         | १२-२          | निवृत्तभरण, भत्ता तथा उपदान                     | २,३०,००                     |
| ४३         | १२-३          | अतिथि सत्कार                                    | २,००                        |
| ४४         | १२-४          | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार                | १,००                        |
| ४५         | १२-५          | सुश्रान्ज्जा                                    | १०,००                       |
| ४६         | १२-६          | अन्य                                            | ७,००,६८                     |
| ४७         | १२-७          | भैपरिम्राउने                                    | १७,६०,००                    |
|            |               |                                                 | १,३६,३३,३७                  |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



(१२)

नेपाल राजपत्र भाग २

अनुसूची-३  
दफा २ अनुसार संचित कोषबाट खर्च हुने

| १          | २             | ३                         | ४                           |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| क्रमसंख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य              | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १          | २-७           | प्रशासन सुधार             | ८४,२५                       |
| २          | ४-१           | योजना                     | १,३२,३५                     |
| ३          | ४-२           | तथ्याङ्क                  | १,६३,७८                     |
| ४          | ८-१           | शिक्षा                    | ४४,६२,६२                    |
| ५          | ८-२           | स्वास्थ्य                 | २०,२५,११                    |
| ६          | ८-३           | पिउने पानी                | १८,१०,७७                    |
| ७          | ८-४           | पञ्चायत तथा स्थानीय विकास | ४४,८७,८३                    |
| ८          | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवाहरू      | ११,४२,६७                    |
| ९          | ९-१           | कृषि                      | ७३,१०,३२                    |
| १०         | ९-२           | सिंचाइ                    | ४७,६६,०७                    |
| ११         | ९-३           | भूमिसुधार                 | २,३६,७५                     |
| १२         | ९-४           | नापी                      | ३,८६,६६                     |
| १३         | ९-५           | वन                        | १७,६६,१६                    |
| १४         | ९-६           | उद्योग तथा खानी           | ६१,०२,७४                    |
| १५         | ९-७           | सञ्चार                    | ७,६५,५७                     |
| १६         | ९-८           | यातायात                   | ६२,०४,१६                    |
| १७         | ९-९           | विद्युत्                  | ७३,०४,०८                    |
| १८         | ९-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू       | ५,६५,०६                     |
| १९         | १२-६          | अन्य                      | ३,००,००                     |
| २०         | १२-७          | भैपरिआउने                 | २,००,००                     |
|            |               |                           | ५,३३,३७,३७                  |

लालमोहर सदर मिति:- २०३८।५।३१।४

आज्ञाले-

हरिप्रसाद शर्मा

श्री ५ को सरकारको का. मु. सचिव

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित।

आधिकारिकता सुदूरपश्चिम विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।